# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 6634 दिनांक – 10-12-24

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 बाबूलाल 2 अमृत कुमार 3 जेठाराम 4 लूणाराम 5 हडोताराम 6 हरजीराम पिसरान मोटाराम जातियान मेघवाल निवासी प्रागाणियो की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर। | | 1 रावताराम 2 हरुराम पिसरान ताजाराम 3 खरथाराम पुत्र रतनाराम जातियान मेघवाल 4 भोमाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी प्रागाणियो की ढाणी, खारिया तला भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान** भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–616/2024 दिनांक– 03/12/24

## आदेश

**उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 900/738 रकबा 2.4605 हैक्टेयर** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

( वीरमा राम )
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2024/ 6635-38 दिनांक– 10-12-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र मोटाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी प्रागाणियो की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रावताराम पुत्र ताजाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी प्रागाणियो की ढाणी, खारिया तला भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर